



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502



1 अक्टूबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशों/ परिपत्रों के मसौदे जारी किए

दिनांक 1 अक्टूबर 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आज सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित निदेशों/परिपत्रों के मसौदे जारी किए हैं:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (लेनदेन खाते) निदेश, 2025

- i) **भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- ii) **भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- iii) **भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- iv) **भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- v) **भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- vi) **भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**
- vii) **भारतीय रिज़र्व बैंक (भुगतान बैंक - लेनदेन खाते) निदेश, 2025**

2. बाजार के माध्यम से बड़े उधारकर्ताओं के लिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर दिशानिर्देश (निरसन परिपत्र), 2025

3. भारतीय रिज़र्व बैंक (सामान्य बचत बैंक जमा खाता) निदेश, 2025

बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षों से 24 अक्टूबर 2025 तक निदेशों/ परिपत्रों के मसौदों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं। टिप्पणियाँ/ प्रतिक्रियाएँ रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट टू रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। वैकल्पिक रूप से, टिप्पणियाँ प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, 12वीं/13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 को या ईमेल द्वारा भेजी जा सकती हैं।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक